अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या-7/2018/1229/60-3-2018-25(सा0)/15टीसी

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2018

विषयः-181 महिला हेल्पलाइन नम्बर का अंकन दीवारों पर पेन्टिंग कर प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु 181 महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित महिलाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। 181 महिला हेल्पलाइन प्रत्येक जनपद में रेस्क्यू वैन से भी जुड़ी हुयी है। महिला हेल्पलाइन एवं रेस्क्यू वैन की सेवायें 24 घण्टे उपलब्ध हैं। 181 महिला हेल्पलाइन व रेस्क्यू वैन के माध्यम से महिलाओं/बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से अप्रैल, 2017 से अब तक रू0-2.55 लाख टेलीफोन कॉल्स प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 16 हजार महिलाओं को रेस्क्यू कर सहायता उपलब्ध करायी गयी हैं एवं ऑन स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से 1.20 लाख महिलाओं की समस्याओं का निराकरण कराया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 181 महिला हेल्पलाइन नम्बर को आम जन तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित भवनों की दीवारों पर बड़े-बड़े मोटे अक्षरों में 181 महिला हेल्पलाइन एवं रेस्क्यू वैन के सम्बन्ध में वॉल पेन्टिंग कराया जायः-

1. सभी स्कूल एवं कालेजों के भवनों की दीवारों पर।
2. सभी शासकीय कार्यालयों के भवनों की दीवारों पर।
3. सभी पुलिस थानों के भवनों की दीवारों पर।
4. सभी खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के भवनों की दीवारों पर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सभी तहसील भवनों की दीवार पर।
6. सभी पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के भवनों की दीवारों पर।
7. सभी उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के भवनों की दीवारों पर।
8. सभी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के भवनों की दीवारों पर।
9. सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भवनों की दीवारों पर।
10. सभी जिला चिकित्सालयों के भवनों की दीवारों पर।
11. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की दीवारों पर।
12. सभी बस स्टेशनों के भवनों की दीवारों पर।
13. सभी रेलवे स्टेशनों के भवनों की दीवारां पर।
14. सभी पंचायत भवनों की दीवारों पर।
15. सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की दीवारों पर।
16. सभी गॉवों में स्थित बारात घरों के भवनों की दीवारों पर।
17. सभी प्राइवेट अस्पतालों के भवनों की दीवारों पर। (भवन स्वामी की अनुमति प्राप्त कर)।
18. सभी प्राइवेट स्कूल एवं कालेजों के भवनों की दीवारों पर। (भवन स्वामी की अनुमति प्राप्त कर)।
19. सभी शापिंग मॉल एवं सभी सिनेमा घरों में भी मुख्य रूप से प्रदर्शित कराया जाय।

उपरोक्त पर होने वाला व्यय आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र योजना के अन्तर्गत 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

181 महिला हेल्पलाइन नम्बर 05X05 वर्ग फिट के क्षेत्र में पेन्ट से निम्न प्रकार से अंकित किया जायेगाः-

उ0प्र0 सरकार की नई पहल

"नम्बर एक समाधान अनेक"

181 महिला हेल्पलाइन

किसी भी समस्या या परेशानी में महिलाएं 181 महिला हेल्पलाइन पर काल करें।

महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1229 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0, लखनऊ।
4. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।